द्वारा सूचित किया जाकर ... पक्षों का नोटिस ... लोक अदालत केम्प ग्राम पंचायत मुख्यालय अटल सेवा केन्द्र ... पर आयंदा दिनांक 30/6/17 को पेश हो।

स्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2017

उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर (पाली)

राजस्व विविध सं. 55/2007 देवाराम बनाम स्व.जसाराम के का.मु.पोमाराम वगैरा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट,1955

दिनांक 30.06.2017

यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार" वर्ष 2017 के दौरान केम्प तखतगढ में बरोज आज पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। हमने, लोक अदालत की मंशा के अनुरूप सुलभ न्याय दिलाने हेतु पक्षकारों की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध तमाम रेकर्ड इत्यादि का अवलोकन व परीक्षण किया। प्रश्नगत् मामले में वर्णित वाद–विषयक स्थिति एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य–दस्तावेजात इत्यादि पर मनन व विचारण करने के पश्चात् हमारी विधिक राय है कि सरहद मौजा तखतगढ तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 575, 577, 578 कुल रकबा 1.37 हेक्टर में से रकबा 0.35 हेक्टर से संबंधित वर्तमान राजस्व रेकर्ड एवं मौका स्थिति को विचारार्थ मूल राजस्व वाद सं. 80/2007 के निस्तारण होने तक यथावत् बनाये रखने हेतु दोनों पक्षकारों को पाबंद करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित समझते है।

P.T.O.

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2017 राजस्व विविध सं. 55/2007 देवाराम बनामः स्व.जसाराम के का.मु.पोमाराम वगैरा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट,1955 ---- अतः उल्लेखित विश्लेषण व विवेचित तथ्यों के परिणामतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण के कतिपय प्रावधानों के तहत आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा तखतगढ तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 575, 577, 578 कुल रकबा 1.37 हेक्टर में से रकबा 0.35 हेक्टर से संबंधित वर्तमान राजस्व रेकर्ड एवं मौका स्थिति को विचारार्थ मूल राजस्व वाद सं. 80/2007 के निस्तारण होने तक यथावत् बनाये रखने हेतु दोनों पक्षकारों को पाबंद करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा से दोनों पक्षकारान पाबंद रहेंगे, सूचित रहे। यह आदेश बरोज आज दिनांक 30.06.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प–तखतगढ में सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम हो एवं संबंधित मूल वाद पत्रावली राजस्व वाद सं. 80/2007 के साथ नत्थी हो। उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर (पाली)

उपखण्ड अधिकारी * (पाली) सुमेरपुर, जिला-पाली